राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/17/32071 जयपुर, दिनांक 14/8/17

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/13687 दिनांक 10.5.17 की निरन्तरता में जारी विभागीय आदेश क्रमांक प.8(ग)( )नियम/डीएलबी/17/26252 दिनांक 27.6.17 के बिन्दु संख्या 2 एवं 3 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

"(1) जिन लघु अवधि लीजधारको/किरायेदारो द्वारा प्रथम तल पर बिना अनुमति निर्माण करवा लिया है ऐसे लीजधारका किरायेदारो से जितने वर्षो तक उसका अनाधिकृत उपयोग किया गया है उस अवधि का किराया वसूल किया जावे।

(2) तत्पश्चात् भूतल पर निर्मित दूकान की लघु लीज/लघु किरायेदारी का 30 वर्षो तक बढाई जावे तथा प्रत्येक 30 वर्ष के पूर्ण होने पर लघु अवधि लीज/किरायेदारी आगामी 30 वर्षो हेतु व्यावसायिक आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने पर नवीनीकृत की जावे।

(3) ऐसे लघु अवधि लीज धारक/किरायेदार द्वारा प्रथम तल पर बिना अनुमति निर्माण कर लिया गया है, उन से प्रथम तल के क्षेत्रफल पर वाणिज्यिक डी.एल.सी. दर से राशि वसूल करते हुये 30 वर्ष हेतु नवीनीकृत किया जावे।

(4) ऐसे लघु अवधि लीज धारक/किरायेदार की भूतल पर निर्मित दुकान के प्रथम तल पर आने–जाने के लिये अलग से रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भू–तल के लीजधारक/किरायेदार को प्रथम तल पर निर्माण करने की अनुमति 30 वर्षो तक वाणिज्यिक डी.एल.सी. दर से उक्त राशि वसूल करते हुये प्रदान की जा सकती है।

(5) ऐसे लघु अवधि लीज धारक/किरायेदार की भूतल पर निर्मित दुकान के प्रथम तल पर आने–जाने के लिये अलग से रास्ता उपलब्ध होने की स्थिति में प्रथम तल को निलामी के माध्यम से 30 वर्षीय लीज/किरायेदारी आधार पर निस्तारित की जावे।"

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )/नियम/डीएलबी/17/32072–32456 दिनांकः14/8/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर
03. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ समस्त राज0।
04. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगरनिगम/परिषद/पालिकाऐ समस्त राज0।
05. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
06. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राजस्थान जयपुर
07. उप निदेशक (क्षेत्रीय), समस्त राजस्थान।
08. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध करवाने हेतु।
09. अधीक्षक, केन्दीय लेखन एवं मुद्रणालय,राज0जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
10. सुरक्षित पत्रावली

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी